

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस
हुक्म की
तामील
में जारी हुए

17/12/20

कमिश्नर प्रोपर्टी मय उपस्थित हैं कारि कार प्राकृत
व्यवहार मयी, विना प्रोपर्टी मय कमिश्नर उपस्थित
नहीं हुए हैं

अतः प्रोपर्टी मय का प्रारम्भ 72 महीन हाजरी में
मध्य फेरवी में खारिज होय जाता है। बाणवली मय मय
सुमार 10000 रु. का कर काय करी

2/1
(शतन खाल मय मय)
RHS
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)